

### Mangalayatan University, Aligarh

Dated: 23 June 2022

Ref: MU/EC Notification/DDOE/2022/2/10

## Notification: Establishment of Directorate of Distance and Online Education

The Executive Council vide MU/EC/2022/2/10 dated 07 June 2022 considered and approved the establishment of Directorate of Distance and Online Education at the University in exercise of power under section 23 (10) of the Uttar Pradesh Private Universities Act (U.P. Act No. 12 of 2019) dated 06 August 2019 and clause 4 K (i)-(e) of Mangalayatan University Statutes 2021 for offering education through Open and Distance Learning/Online Learning Mode as per UGC (Open and Distance Learning Programmes and Online Programmes) Regulations, 2020. Territorial jurisdiction of the University is Uttar Pradesh and the University will offer its Programmes through Learner Support Centre located at its Headquarter.

Registrar

Registrar Mangalayatan University Beswan, Aligarh

C.C.:

P.A. to Hon'ble Vice Chancellor for his kind information All Deans/Directors/Heads
Controller of Examinations
Finance Officer
All concerned



रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल०

डब्लू० / एन०पी०-91 / 2014-16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

#### उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

### असाधारण

विधायी परिशिष्ट भाग—1, खण्ड (क) (उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, मंगलवार, 6 अगस्त, 2019

श्रावण 15, 1941 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन विघायी अनुभाग-1

संख्या 1451/79-वि-1-19-1(क)11-19 लखनऊ, 6 अगस्त, 2019

> अधिसूचना विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विधेयक, 2019 जिससे उच्च शिक्षा अनुभाग-1 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 5 अगस्त, 2019 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2019 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2019)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा प्रारित हुआ]

इस अधिनियम के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य में उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु नये निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना करने और विद्यमान निजी विश्वविद्यालयों को निगमित करने तथा उनके कृत्यों को विनियमित करने और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय, अधिनियम, 2019 कहा सिक्सार और जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में होगा।

(3) यह ऐसे दिनांक की प्रवृत्त होगा जैसा कि राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

Mangalayatan University Beswan, Aligarh